

| | | |
|------------------------|--|---|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>प्रथम अपील, सलीम बनाम सरकार (अति०जिला कलक्टर धौ०) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु०संख्या 77/2021) (जीसीएमएस न० 2021/180)</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</p> |
| <p>24-8-2021</p> | <p>अपीलान्ट अनुपरिथत। पैरोकार सरकार उपरिथत। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: अपील/आरटीआई/2021-22/290 दिनांक 11.8.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना, अपीलार्थी श्री सलीम पुत्र कल्लू खॉ निवासी 987, सिविल लाईन झांसी उ०प्र० को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सम्पर्क/सू०अ०/2021/214 दिनांक 01.07.2021 के जरिये रजिस्टर्ड डांक से पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा चुकी है। जिसके पत्र की प्रति पेश की है।</p> <p>अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्ट को कार्यालय के पत्र क्रमांक सम्पर्क/सू०अ०/2021/214 दिनांक 01.07.2021 के जरिये रजिस्टर्ड डांक से पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा चुकी है। पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर पेश की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।</p> <p>(—)</p> <p>अति० जिला कलक्टर (धौलपुर)</p> | |